Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील सं. 2023/305 बअनवान नरपतसिंह बनाम ग्राम पंचायत दुदनी वगैरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
09/02/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री मूलसिंह यादव उप। रेस्पोडेण्ट्स सं. 1 अनु.। रेस्पोडेण्ट्स सं. 2 व 3 के अधिवक्ता श्री संतोष शर्मा उप.। रेस्पोडेण्ट्स सं. 4 पैरोकार सरकार उप.। प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम व मूल अपील धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट श्री मूलसिंह यादव ने धारा 5 मर्यादा अधिनियम में उल्लेखीत तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि अपीलांट खेतीहर किसान होने तथा गत माह रेस्पोडेण्ट्स सं. 2 व 3 द्वारा अपीलांट को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने व अपीलाधीन भूमि को बेचान करने की धमकी देने पर विवादास्पद नामांतरकरण सं. 894 स्वीकृत दिनांक 20.03.2015 की नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को उक्त विवादास्पद नामांतरकरण की जानकारी हुई तथा जानकारी के तुरंत प्श्चात अपील दिनांक 12.12.2023 को उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो अपील अंदर अवधि काल मानी जाकर विवादास्पद नामांतरकरण को निरस्त किये जाने की दलील दी। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कानून दृष्टांत आरआरटी 2009(2) पेज 1102 पेश किया। इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट्स सं. 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस में धारा 5 मर्यादा अधिनियम के जवाब में उल्लेखीत तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि उक्त नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.03.2015 से ही रही है तथा उक्त अपील करीब साढे 8 वर्ष बाद पेश की गई है। जो अवधि बार होने से खारिज योग्य है। डिले को कंडोन करने के लिये आवेदक को प्रार्थना पत्र में स्पष्ट ब्योरा यथा नामांतरकरण की जानकारी कौनसी तिथी या माह को हुई स्पष्ट रूप से दर्शाना होता है। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख नही किया है तथा काल्पनिक व मिथ्या कथन करते हुये धारा 5 का प्रर्थाना पत्र पेश किया है। विलंब को क्षमा करने का उचित एवं पर्याप्त कारण नही बताया है जिससे अपील मयाद बाहर होने से निरस्त किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में रेस्पोडेण्ट्स पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष शर्मा द्वारा कानूनी दृष्टांत 2021(2)डीएनजे(रेवेन्यु) पेज 1145 तथा 2024(2)डीएनजे(एससी) पेज 415 पेश किये गये। उभयपक्ष वकुलाय की धारा 5 परीसीमा अधिनियम पर की गई बहस एवं बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतो में प्रतिपादीत सिद्धांतो एवं लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 में विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतो पर मनन के प्श्चात प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील को अंदर अवधि काल माना जाता है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम निर्णीत के प्श्चात धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर उभयपक्ष वकुलाय की दलीलो को सुना गया। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में दलील दी की अपीलांट स्व. माना के पिता नवा पुत्र दानसिंह के सगे भाई लालसिंह पपुत्र दानसिंह का पुत्र होने से तथा माना के अविवाहित फौत होने से समस्त वारिसान लालसिंह के पुत्र अजीतसिह व थानसिंह दोनों में बहिस्सा बराबर नामांतरकरण भरा जाना आवश्यक था परंतु अजीत सिंह के वारिस रेस्पोडेण्टस सं 2 व 3 ने अपीलांट की जानकारी के बाले–बाले विवादास्पद नामांतरकरण सं. 894 स्वीकृत करा दिया। जो नामांतरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपुर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम दूदनी के खसरा नंबर 455 व खसरा नंबर 566/785 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.23 हैक्टर के संबंध में स्व. माना पुत्र नवा के वारिसान नवा के भाई लालसिंह पुत्र दानसिंह के वरिस अजीत सिंह पुत्र लालसिंह एवं थानसिंह पुत्र लालसिंह के वारिसों में 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार नामांतरकरण दर्ज किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरीत रेस्पोंडेटस पक्ष के अधिवक्ता श्री संतोष शर्मा ने अपीलांट की अपील में उल्लेखित तथ्यों से असाहमति प्रकट करते हुये अपील को खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विवादास्पद नामांतरकरण सं 874 स्वीकृती दिनांक 20.03.2015 में दर्ज इन्द्राजों का अवलोकन किया गया। उक्त नामांतरकरण के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्राम दूदनी स्थित भूमि खसरा नं 455 व 566/785	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.29 हैक्टर किस्म बारानी सोयम माना पुत्र नवा कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि में माना पुत्र नवा के फौत होने से विरासत का नोट अंकन करते हुये माना पुत्र नवा के वारिसदारों के नाम नामांतरकरण दर्ज किये जाने का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत दुदनी के प्रस्ताव सं. 8 दिनांक 20.03.2015 के जरिये अपीलाधीन भूमि में भंवरसिह, किशोरसिंह पिता अजीत सिंह कौम रावणा राजपूत सा.देह खातेदार के नाम नामांतरकरण दर्ज किया गया। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के पद सं. 2 में माना पुत्र नवा की प्रस्तुत वंश वंशावली के अवलोकन से ज्ञात है कि अपीलांट रेस्पोंडेण्ट सं 2 व 3 का चचेरा भाई है जिससे विधि अनुसार अपीलांट भी अपीलाधीन भूमि में 1/2 हिस्सा के हक अधिकार रखता था। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये ग्राम दूदनी स्थित खसरा नंबर 112, 113 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.55 हैक्टर तथा खसरा नंबर 138 रकबा 1.76 हैक्टर के सहखातेदार सरदारसिंह पुत्र लालसिंह के देहांत के पश्चात दाखिल व स्वीकृत नामांतरणकरण सं 337 दिनांक 28.07.1998 से अपीलांट व उसकी माता शांति का नाम रेस्पोडेंट के साथ दर्ज किया गया। इस प्रकार नामांतरकरण सं 337 दर्ज करते समय तो अपीलांट व उसकी माता को हिन्दु उत्तराधिकारिता के प्रोविजो अनुसार रेस्पोडेंट के बराबर हिस्सा में खातेदार दर्ज किया परंतु विवादास्पद नामांतरकरण मात्र अजीत सिंह के पुत्रों रेस्पोंडेट्स सं 2 व 3 के नाम ही स्वीकृत किया जो प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपुर्ण होने से नामांतरणकरण सं 894 को निरस्त किया जाना न्यायासंगत है।

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम दूदनी स्थित भूमि खसरा नंबर 455 व खसरा नंबर 566/785 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.23 हैक्टर के संबंध में नामांतरणकरण सं 894 स्वीकृत दिनांक 20.03.2015 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिपेषण कर निर्देश दिये जाते है कि अीलांट भी स्व. माना पुत्र नवा के विधिक वारिसान होने से रेस्पोडेंट के साथ अपीलांट को भी 1/2 हिस्से में खातेदार मानते हुये नये सिरे से नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही कर पालना से दो माह में अवगत करावें। आदेश प्रति के साथ पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण सं 894 की सत्यापित प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner